

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।
टी०ए० मिस केस सं०-86/2017-18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्यवाही के बाद टिप्पणी सहित सारा
04.10.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि <u>12.11.17</u> को निर्धारित की जाती है। अभिलेख <u>10.11.17</u> को उपस्थापित करें। <i>Beur</i> 4.10.17 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
10.11.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि <u>9.12.17</u> को निर्धारित की जाती है। अभिलेख <u>9.12.17</u> को उपस्थापित करें। <i>Beur</i> 10.11.17 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
09.12.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगली तिथि <u>3.1.18</u> को निर्धारित की जाती है। अभिलेख <u>3.1.18</u> को उपस्थापित करें। <i>Beur</i> 9.12.17 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
03.01.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के पत्रांक 612 (बी), दिनांक 28.12.2017 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 01.01.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक शिवो महतो, पिता स्व० खिरो महतो, ग्राम-नन्दपुर, पोस्ट-मनोहरपुर, थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-नन्दपुर, खाता नं०-346,345,345 प्लॉट नं०-884,784,785, रकवा क्रमशः 0.40 ए०, 0.03 ए०, 0.13 ए० कुल रकवा 0.56 ए०, क्रेता श्री रितेश कुमार महतो, पिता-श्री निरेन्द्री महतो, ग्राम-नन्दपुर, थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास विक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि विक्री की जानेवाली जमीन आवेदक शिवो महतो, पिता स्व० खिरो महतो के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास 7,00,000/- (सात लाख) रुपये में बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। विक्रेता एवं क्रेता अंचल एवं थाना-मनोहरपुर के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता "कुर्मी" दोनो (अ.पि.वर्ग.) समुदाय के सदस्य हैं। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के विक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकवा-2.80 ए० भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री रितेश कुमार महतो, पिता-श्री निरेन्द्री महतो, ग्राम-नन्दपुर, थाना-मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम के पक्ष में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है। लेखापित <i>Beur</i> 3.1.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर <i>Beur</i> 3.1.18 भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	